संख्या:144/2026/642पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/29/2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सन्त कबीर नगर।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ; दिनांक: 14 सितम्बर, 2026

विषय: संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के निरस्तीकरण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद सन्त कबीर नगर में शासनादेश संख्या-31/2026/298 पू0वि0नि0/35-4-2026/35-1099/29/2025 दिनांक 30 मार्च, 2026 द्वारा 08 कार्यों में से शासनादेश के क्रमाकं-2 पर अंकित कार्य-विकास खंड नाथनगर में मुरादपुर से रामकीरत के घर होते हुए मथुरापुर तक पिच सड़क निर्माण की रू0 89.97 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 43.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- आपके पत्र संख्या-394/पूर्वांचल (राज्यांश)/2026-27 दिनांक 31.08.2026 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में उक्त शासनदेश दिनांक 30 मार्च, 2026 द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त कार्य त्वरित आर्थिक विकास योजना में स्वीकृत होने के दृष्टिगत, एतदद्वारा उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त शासनदेश दिनांक 30 मार्च 2026 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:144/2026/642(1)पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/29/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- मुख्य विकास अधिकारी, सन्त कबीर नगर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सन्त कबीर नगर।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सन्त कबीर नगर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सन्त कबीर नगर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।